

पत्रावली

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

संख्या व तारीख
आदेशात प्रो. इत
द्वारा प्रो. सागील
में जारी हो.

7/1/24

पत्रावली पेश हुई | श्रीमान 8 फरवरी 2024 अदालत में
पत्रावली पेश हुई है। पत्रावली में जो बातें
पत्रावली पेश करने के लिए पत्रावली पेश करने के लिए
कार्यवाही के लिए दिनांक 27/1/2025 को पेश करें

27/1/25

पत्रावली पेश हुई | वादी आदि 0340 प्रो. सागील सरकार
340 पत्रावली में पत्रावली सरकार की ओर से पत्रावली पेश
आपसर - वादी आदि 0340 आदि 0340 पत्रावली पेश
पत्रावली दिनांक 19/1/25 को पेश करें

19/1/25

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक 11/3/25 को पेश हो।
आदेश से रीट

1/3/25

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी आधीवक्ता अनु।
वादी एवं वादी आधीवक्ता को तिथिमागतान तीन बार
आवाचें लगाई गई। पत्रावली पेश करने के लिए वादी एवं
वादी आधीवक्ता को न्यायाधीन में पुनः एक बार
आवाच लगाई गई, जिनको उपाधीन नहीं आया।
वादी एवं वादी आधीवक्ता के न्यायालय में उपाधीन
नहीं आते है वादी का वाद अन्तर्गत भाग 53, 188
वाक्यांश कावतकसी आधीवक्ता को अदम हक्की।
अदम पत्रावली में पत्रावली पेश करने के लिए पत्रावली पेश
इजलास पुनः पत्रावली पेश करने के लिए पत्रावली पेश
पत्रावली पेश करने के लिए पत्रावली पेश करने के लिए

रौनक शर्मा
नायब तहसीलदार
भीलवाड़ा

पत्रावली पेश करने के लिए पत्रावली पेश करने के लिए
सहायके कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. महावीर पिता शांति लाल जी जैन उम्र 45 वर्ष निवासी शास्त्रीनगर भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. नवीन कुमार पिता चान्दमल जी जैन उम्र वयस्क निवासी बापूनगर भीलवाड़ा
3. बलवन्त सिंह पिता ईश्वर सिंह जी राजपूत उम्र वयस्क निवासी किशनावतों की खेड़ी, भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।


प्रतिवादी

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
वाद बाबत विभाजन आराजियात**

प्रकरण संख्या 108/2024 राजस्व वाद

वादी अधिवक्ता श्री श्याम लाल आगाल अनुपस्थित — इस वाद में आज तारीख 11.03.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


12/3/25
(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा